UPAD040296862022

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष स0 17, इलाहाबाद।

प्रकीर्ण प्रा0पत्र सं0165/2023
परिवाद सं01207/2022

सरकार बनाम श्रीमती मजहबी

धारा 4/21खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा 3/58/72 उ0प्र0 उपखनिज(परिहार) नियमावली–1963

अंतर्गत थाना–जार्जटाउन, जनपद प्रयागराज

दिनांक 12.01.2023

पत्रावली पेश हुई। वाहन अवमुक्त प्रार्थनापत्र एवं अधिहरण पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। वाहन अवमुक्त प्रार्थनापत्र पर यह कथन किया गया है कि प्रार्थी का वाहन संख्या–**यूपी70ईटी3432** थाना उपरोक्त में निरूद्ध है। प्रार्थी की गाड़ी खनन विभाग द्वारा सीज कर दिया गया है। प्रार्थी के पास से अवैध खनन की बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी का वाहन थाने में पड़े रहने से उसके खराब होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट मंगाकर गाड़ी रिलीज करने की याचना की गयी है।

अभियोजनपक्ष की ओर से वाहन निर्मुक्ति का विरोध किया गया व वाहन के अधिहरण की याचना की गयी।

खान अधिकारी की आख्या का अवलोकन किया। आख्या के अनुसार वाहन संख्या–उपरोक्त को खजिन प्रवर्तन दल, प्रयागराज द्वारा दिनांक 22.10.2022 को मौके पर औचक जांच के दौरान अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। वाहन स्वामी का उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम–70 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। अतः उक्त वाहन को राज्य सरकार के पक्ष में अधिहरण किए जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी द्वारा आरटीओ चलानी तथा उपखनन के सम्बन्ध एमएम–11 प्रपत्र व वाहन के सम्बन्ध में पंजीकरण प्रमाण–पत्र दाखिल किया गया है।

उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली तथा दाखिल समस्त प्रपत्रों, खनन विभाग की आख्या, थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धार–4(1)(क) में यह प्रावधानित किया गया है कि "कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम तथा तदधीन निर्मित नियमावली के उपबंधों से भिन्न उपबंधों के अनुसरण में परिवहन या भण्डारण नहीं करेगा अथवा परिवहन या भण्डार नहीं कराएगा" उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम–70 में खनिजों के परिवहन पर निर्बधन को बताया गया है, नियम 70 (2) में यह प्रावधानित है कि राज्य सरकार के भीतर रेल को छोड़कर पशुगाड़ी या परिवाहन के किसी अन्य साधन व कोई उपखनिज, उप नियम (1)के अधीन प्रपत्र ईएमएम 11, ई प्रपत्र/सी/आईएसटीसी के बिना नहीं ले जायेगा।

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम–72(6) में यह प्रावधानित किया गया है कि "यदि किसी व्यक्ति को इस नियम के किसी प्रावधान अतिलंघन करने के लिए पाया पाता है, तब जिला मजिस्ट्रेट 25,000 रूपये(पचीस हजार रुपये) की शास्ति और रायाल्टी सहित खनिज का मूल्य वसूलेगा। ऊपर उल्लिखित सम्पूर्ण धनराशि की निपेक्ष के पश्चात् खनिज सहित यान, आदि को निर्मुक्त किया जायेगा"।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–21(4)(क) में यह प्रावधानित किया गया है कि धारा 21 की उपधारा 4 के अधीन जब्त के किया गया कोई औजार, उपकरण, वाहन या कोई अन्य वस्तु उपधारा(1) अधीन अपराध संज्ञान लेने, समर्थ

Digitally signed by NITYAN NIGAM
Date: 2023.01.12 16:30:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय के आदेश द्वारा अधिहरण करने योग्य होगा और ऐसे न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निपटाया जायेगा।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थी द्वारा दाखिल एमएम–11 प्रपत्र दिनांक 16.10.2022 से दिनांक 18.10.2022 तक वैध है। प्रार्थी द्वारा दाखिल आर.टी.ओ. चलानी के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रश्नगत वाहन का चलान दिनांक 17.10.2022 को किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि खनन विभाग द्वारा उक्त वाहन के थाने में निरूद्ध रहने के दौरान दिनांक 22.10.2022 को कार्यवाही की गयी है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एमएम–11 प्रपत्र वैध प्रतीत होता है। उक्त वाहन में लोडशुदा कथित बालू की माप के सम्बन्ध में खनन विभाग द्वारा कोई साक्ष्य/कांटा पर्ची आदि दाखिल नहीं किया है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2003 (46) ए0सी0सी0–223 सुन्दर भाई अम्बालाल देशाई प्रति स्टेट आफ् गुजरात** में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में प्रश्नगत वाहन पंजीकृत स्वामी के पक्ष में शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का वाहन (पंजीयन सं0 **यूपी70ईटी3432**) अवमुक्त प्रार्थनापत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता हैः–

1– आवेदक द्वारा मु0 3,00000/–रू0 (मु0 तीन लाख रूपये) का निजी मुचलका एवं समान धनराशि की एकप्रतिभू न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

2– आवेदक इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करे कि वह दौरान विवेचना/विचारण प्रश्नगत वाहन को न तो बेंचेगा और न ही उसके रूपरंग में कोई परिवर्तन करेगा तथा विवेचक/न्यायालय द्वारा वाहन के तलब करने पर अपने खर्च पर तत्सम्बन्धी के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा भविष्य में उक्त वाहन को अवैध खनन में प्रयोग नहीं करेगा।

3– आवेदक प्रश्नगत वाहन से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों की दो–दो छाया प्रतियां दाखिल करेगा।

सम्बन्धित थाने को आदेशित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत वाहन किसी अन्य मामले में वान्छित न हो तो पंजीकृत स्वामी की पहचान सुनिश्चित करते हुए वाहन उसकी सुपुर्दगी में अवमुक्त किया जाये तथा गलत व्यक्ति के पक्ष में अवमुक्त करने पर पुलिस स्वयं जिम्मेदार होगी।

(नीतिवान निगम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–17, इलाहाबाद।